वित्तीय स्वीकृति

संख्या-21/2016/भा0स0 23/52-3-16-बजट(17)/2010

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

ल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 29 मार्च, 2016

विषयः-केन्द्रपुरोनिधानित संघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत छात्रावासो एवं विद्यालय भवनो के निर्माण हेतु पूंजीगत धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र □0□-□□-8-32/2009-□□-19 दिनांक 14.06.2010 तथा आपके प 0-4568/□0□0□0□□0/□□0□□0□□0/2015 दिनांक 3.3.2016 के संदर्भ में तथा शासन के पत्र सं0-□□0□0 80/52-3-11-□□□(17)/2010, दिनांक 23.12.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र सं0□-□□-8-32/2009□□ 19, दिनांक 15.3.2010 द्वारा निम्नांकित 22 संस्थाओं के छात्रावास/विद्यालय भवन निर्माण हेतु कुल रू0 09,47,37,000/- की धनराशि अनुमोदित करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 04,48,00,000/- की धनराशि स्तम्भ-6 के अनुरूप अवमुक्त की गयी थी तथा यह आश्वासन दिया गया था कि रू0 25.68 लाख की धनराशि बाद में अवमुक्त की जायेगी। भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये शासनादेश 0-□□0□0 80/52-3-11-□□□(17)/2010 दिनांक 23.12.2010 द्वारा उक्त 22 संस्थाओं हेतु निम्न प्रकार स्तम्भ-6 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुरूप धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा स्तम्भ-7 के अनुरूप कुल रू0 25.68 लाख की धनराशि अवमुक्त किया जाना अवशेष है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	संस्थान/विद्यालय का नाम	भारत सरकार द्वारा कुल अनुमोदित □□□□□	प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि	प्रथम किश्त के सापेक्ष अवशेष धनराशि		
		छात्रावास हेतु	विद्यालय भवन हेतु	कुल	अवमुक्त धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	एंग्लो इण्टर कालेज नवाबगंज बाजार आलियाबाद, बाराबंकी	50□00	23.64	23.64	1□36	
2	इस्लामिया निस्वाँ स्कूल मैलारायगंज , बाराबंकी	50□00	23.64	23.64	1□36	
3	अल्पसंख्यक अक्सा पब्लिक हायर सेकेन्डरी स्कूल कस्बा बीसलपुर, □□□□□	50□00	23.64	23.64	1□36	
4	अजीजिया माण्टेसरी स्कूल समिति, बलरा□□□	38□00	17.98	17.98	1□02	
5	□0जी हाशमी इण्टर कालेज सादुल्लानगर, □□□□□□	46□20	21.85	21.85	1□25	
6	किसान बालिका इण्टर कालेज सादुल्लानगर बलरामपुर	46□56	22.02	22.02	1□26	
7	इरम माडल निस्वाँ स्कूल बारूदखाना, लखन□	45□00	21.28	21.28	1□22	
8	बिस्मिल्लाह उ0म0 विद्यालय न्यूरिया हुसैनपुर, पीलीभीत	50□00	23.64	23.64	1□36	
9	□□0□0 एम इण्टर कालेज अमरोहा जे0□□0□□□	50□00	23.64	23.64	1□36	

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यक□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10	□□□□□ □0□0 सेराजुल उलूम कूडी वाराणसी	24□70		11.68	11.68	0□67
11	मदरसा तालीमुल इस्लाम लोहता, □□□□□	36□54		17.28	17.28	0□99
12	हुदा इस्लामी गर्ल्स कालेज सैयद अहमद शहीदनगर बतिया फतेहपु , □□□□□	29□70	8□02	26.03	14.05	0□80
13	□□□□□ □□0□0 रहीमिया उधौली धोसी, □□	38□26		18.10	18.10	1□03
14	मदरसा फखरिया निस्वा ँ रधौली धोसी, मऊ	42□36		20.04	20.04	1□14
15	इरम कान्वेट कालेज बेगमगंज, बाराबंकी	46□50		22.00	22.00	1□25
16	जामिया अरबिया इम्दादुल उलूम जैदपुर, बाराबंकी	49□82		23.55	23.55	1□36
17	मदरसा खानम जान अरबिक स्कूल अर्दली बाजार वाराणसी	37□49		17.73	17.73	1□01
18	मदरसा मजीदिया सराय हडडा वाराणसी	37□49		17.73	17.73	1□01
19	□0□□0 हाशमी बालिका इण्टर कालेज सीता रामुर ग्ारण्ट, गोण्डा	50□00		23.64	23.64	1□36
20	□□□□□ □□मदिया जमालपुर घोसी, □□	17□74		17.73	17.73	1□02
21	मदरसा अरबिया अजमेरी निस्वा ँ जू0हा0 स्कूल अशरफपुर बरव , अम्बेडकरनगर	41□25	4□26	15.24	19.50	1□13
22	कैफीउल उलूम मीरपुर, बाराबंकी	50□00		23.64	23.64	1□36
	□□□	448□00		25□68		

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यक□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यक बालिका उच्चतर महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु रू0 2463.66 लाख का आय व्ययक प्राविधान है जिसके सापेक्ष अभी तक कोई धनराशि अवमुक्त नही की गयी है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त शासनादेश सं0-ए□-8-32/2009-□□-19 दिनांक 14.06.2010 द्वारा प्रथम किश्त की अवमुक्त अवशेष धनराशि रू0 25.68 लाख को दृष्टिगत रखते हुये उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मदरसा मजीदिया सराय हडडा वाराणसी की अवशेष धनराशि रू0 1.01 □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□/संस्थाओं हेतु उपरोक्त तालिका के स्तम -7 में अंकित धनराशि कुल रू0 24.67 □□ (रू0 चैबिस लाख सरसठ हजार मात्र) पूर्व निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते है।

मदरसा मजीदिया सराय हुडडा वाराणसी हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि 17.73 लाख चूंकि संस्था द्वारा समर्पित की जा चुकी है। अतः इस संस्था हेतु अवशेष संस्था हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने का औचित्य नही है।

3. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध लेखाशीर्षक- 4202-शिक्षा, □□□□, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्ष -800-अन्य व्यय-01- केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-102- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिका उ.म. विद्यालयों हेतु भवनों का निर्माण(के0 100 रा00)-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे □□□ □□□□□

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/□□0-1-925 /□□-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निर्गत दशा निर्देशां के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

□□□□

संख्या- □□0 □0 23(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□□

4- रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□

5- वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (अ□-व्ययक) □□□□-1(02 प्रतियों में)/ □□□□ □□□□-3 □□□□ □□□□/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष
कार्याधिकारी

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यक□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in